डीपीसी अधिनियम,1971

नियंत्रक महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें)

संशोधन अधिनियम, 1971

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

विषय वस्तु

अध्याय-I प्रारम्भिक	संक्षिप्त नाम परिभाषाएं
अध्याय-II नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें	वेतन कार्यालय की अवधि स्प्ष्टीकरण अवकाश पेंशन पेंशन का सारांशीकरण सामान्य भविष्य निधि में अंशदान देने का अधिकार सेवा की अन्य शर्तें
अध्याय-III नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संघ एवं राज्यों के लेखाओं का संकलन करने हेतु नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखाओं को तैयार करने और राष्ट्रपति को, राज्यों के राज्यपालों को और जिन संघ राज्यों में विधान सभाएं हैं उनके प्रशासकों को प्रस्तुत करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का संघ और राज्यों को जानकारी देना और उनकी सहायता करना लेखापरीक्षा से संबंधित सामान्य् प्रावधान संघ या राज्य राजस्वों से निरंतर वित्त पोषित निकायों या प्राधिकरणों की प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा अन्य प्राधिकरणों या निकायों को दिए गए अनुदानों या ऋणों के मामले में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्य संघ या राज्यों की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा भण्डारों एवं स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा

	लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की शक्तियां सरकारी कम्पनियों और निगमों की लेखापरीक्षा सरकारी कम्पनियों एवं निगमों के लेखाओं के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना कतिपय प्राधिकरणों या निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा
अध्याय-IV विविध	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की शक्तिओ का प्रत्यायोजन नियम बनाने की शक्ति विनियम बनाने की शक्ति ब्यौरेंवार लेखापरीक्षा से अभिमुक्त करने की शक्ति निरसन शंकाओं का समाधान

अध्याय-I प्रारम्भिरक

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सेवा की शर्तें को अवधारित करने और उसके कर्तव्यों तथा शक्तियों को निर्धारित करने और उनसे सम्बन्धित या उससे अनुषंगी मामलों के लिए एक अधिनियम ।

भारतीय गणतंत्र के बाईसवें वर्ष में इसका संसद द्वारा निम्न प्रकार से अधिनियमन किया जाएः-

1. संक्षिप्त शीर्षक

इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 है।

2. परिभाषाएं

इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

1. "लेखे"- किसी सरकार के वाणिज्यिक उपक्रमों के संबंध में "लेखे" के अन्तर्गत व्यवसाय, विनिर्माण तथा लाभ एवं हानि लेखे तथा तुलन-पत्र और अन्य सहायक लेखे भी हैं;

2. "विनियोग लेखे- "विनियोग लेखे" से वे लेखे अभिप्रेत हैं जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान लेखे में लाए गए व्यय को संविधान के अथवा संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, भारत की या किसी राज्य की, या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की जिसमें विधान सभा हो, संचित निधि में से धन के विनियोग के लिये बनाई गई विधि में विनिर्दिष्ट विभिन्न मदों से संबद्ध करते हैं;
3. "नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - "नियंत्रक-महालेखापरीक्षक" से संविधान के अनुच्छेद 148 के अधीन नियुक्त भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अभिप्रेत है;
4. "राज्य- "राज्य"- से संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई राज्य अभिप्रेत है ;
5. "संघ- "संघ" के अंतर्गत कोई संघ राज्यक्षेत्र आता है, चाहे उसमें विधान सभा हो या न हो।

Go to Top

अध्याय-II नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें

3. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सर्वोच्चष न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन दिया जाएगाः

परन्तु यदि कोई व्यक्ति नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख के ठीक पूर्व संघ की सरकार के या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी के अधीन, या किसी राज्य की सरकार के या उसके पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी के अधीन, किसी पूर्ववर्ती सेवा की बाबत (विकलांगता या क्षत पेंशन से भिन्न) कोई पेंशन प्राप्त कर रहा था, या, प्राप्त करने के लिये पात्र होते हुए उसने ऐसी पेंशन लेने का निश्चय किया था, तो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में सेवा की बाबत उसके वेतन में से निम्नलिखित को घटा दिया जाएगा अर्थात् :-

1. उस पेंशन की रकम; और
2. यदि पद ग्रहण करने के पूर्व उसने ऐसे पूर्ववर्ती सेवा की बाबत उसे देय पेंशन के किसी भाग के बदले में उसका सारांशीकृत मूल्य प्राप्त कर लिया था तो पेंशन के उस भाग की रकम

पदावधि

4. 4. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उस तारीख से जिसको वह ऐसा पद ग्रहण करता है, छह वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगाः

परन्तु जहां वह छह वर्ष की उक्त अवधि के अवसान के पूर्व पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है वहां वह ऐसा पद उस तारीख को रिक्त कर देगा जिसको वह उक्त आयु प्राप्त कर लेता है:

प्रावधान करता है कि वह, किसी भी समय, राष्ट्रपति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजन के लिये, उस नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की बाबत जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पद धारण कर रहा हो, छह वर्ष की अवधि उस तारीख से संगणित की जाएगी जिसको उसने पद ग्रहण किया था।

अवकाश

5.

1. किसी व्यक्ति को जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख के ठीक पूर्व सरकार की सेवा में था, उसके पद की अवधि के दौरान न कि उसके पश्चात् उन नियमों के अनुसार छुट्टी मंजूर की जा सकेगी जो उस सेवा को तत्समय लागू हो जिसमें वह ऐसी तारीख के पूर्व था और धारा 6 में अन्तर्विष्ट किसी बात को होते हुए भी वह ऐसी तारीख को अपने नाम जमा छुट्टी का अग्रेषण करने का हकदार होगा।
2. किसी अन्य व्यक्ति को जिसे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है ऐसे नियमों के अनुसार छुट्टी मंजूर की जा सकेगी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी सदस्य को तत्समय लागू हैं।
3. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की या उसे मंजूर की गई छट्टी को प्रतिसंहृत या कम करने की शक्ति, राष्ट्रपति में निहित होगी।

पेंशन

6.

1. किसी व्यक्ति के बारे में, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख के ठीक पूर्व सरकार की सेवा में था, यह समझा जाएगा कि वह उस सेवा में उस तारीख को निवृत्त हो गया जिसको वह नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करता है किंतु नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में उसकी सेवा चालू रहने वाली अनुमोदित सेवा मानी जाएगी जिसे उस सेवा में पेशन के लिये गणना में लिया जाएगा जिसमें वह था।
2. हर एक व्यक्ति, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करता है, उक्त पद को छोड़ने पर, प्रति वर्ष पन्द्रह हजार रूपये की राशि की पेंशन का पात्र होगा जिस राशि में उसे संदेय सभी पेंशनों का, उसकी पेंशन के संराशीकृत प्रभाग का, यदि कोई हो, तथा उस सेवा को, जिसमें वह था, तत्समय लागू नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय निवृत्ति उपदान के, यदि कोई हो, समतुल्य पेंशन का योग सम्मिलित होगा:

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति उस सेवा को, जिसमें वह था तत्समय शासित करने वाले नियमों के अधीन, उक्त पन्द्रह हजार रूपये की राशि से उच्चतर पेंशन का पात्र है या किसी समय हो जाता है तो वह पेंशन के रूप में उक्त उच्चतर रकम लेने का पात्र होगा।

3. कोई व्यक्ति, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख के ठीक पूर्व सरकार के अधीन किसी पूर्ववर्ती सेवा की बाबत कोई पेंशन पा रहा था, या पाने का पात्र हो गया था, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद छोड़ने पर प्रति वर्ष पन्द्रह हजार रूपये की पेंशन का पात्र होगा जिस राशि में उसे संदेय सभी पेंशनों, उसकी पेंशन के संराशीकृत प्रभाग का, यदि कोई हो, और उस सेवा को जिसमें वह था तत्समय लागू नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय निवृत्ति उपदान के, यदि काई हो, समतुल्य पेंशन का योग सम्मिलित होगाः

   परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति उस सेवा को, जिसमें वह था, तत्समय शासित करने वाले नियमों के अधीन उक्त पंद्रह हजार रूपये की राशि से उच्चतर पेंशन का पात्र है या किसी समय हो जाता है तो वह पेंशन के रूप में उक्त उच्चतर रकम लेने का पात्र होगा।
4. कोई अन्य व्यक्ति, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, उक्त पद को छोड़ने पर प्रति वर्ष पन्द्रह हजार रूपये की पेंशन का पात्र होगा।
5. इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद धारण करने वाला व्यक्ति, स्वविकल्पानुसार, या जो उस दर से जिससे इस अधिनियम के प्रवृत्त न होने की दशा में उसे पेंशन अनुज्ञेय होती या इस धारा में विनिर्दिष्ट दर से पेंशन लेने का पात्र होगा।
6. कोई व्यक्ति, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद त्यागपत्र द्वारा छोड़ता है, इस प्रकार छोड़ने पर, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में अपनी सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिये दो हजार रूपये प्रतिवर्ष की दर से पेंशन का पात्र होगाः

   परन्तु उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में, इस उपधारा के अधीन अनुज्ञेय पेंशन की कुल रकम उसकी पेंशन के संराशीकृत प्रभाग, यदि कोई हो, के सहित पेंशन की रकम, तथा उस सेवा को, जिसमें वह नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करने के ठीक पूर्व था, तत्समय लागू नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय निवृत्ति उपदान, यदि कोई हो, के समतुल्य पेंशन को सम्मिलित करते हुए प्रति वर्ष पंद्रह हजार रूपये या, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के परन्तुक में निर्दिष्ट उच्चतर पेंशन से अधिक नहीं होगी।

   (6क) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसा कोई व्यक्ति, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) संशोधन अधिनियम, 1984 के प्रारंभ के पश्चात् नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद (चाहे उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट किसी रीति से या त्यागपत्र द्वारा) छोड़ता है, इस प्रकार छोडने पर–:

1. उस पेंशन का हकदार होगा जिसका हकदार वह उस सेवा के नियमों के अधीन, जिसमें वह था, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में अपनी सेवा की ऐसी सेवा में पेंशन के लिये गिनी जाने वाली निरंतर अनुमोदित सेवा के रूप में संगणना करके हकदार हुआ होता; और
2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक रूप में सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के बाबत सात सौ रूपये प्रति वर्ष की विशेष पेंशन का हकदार होगा;

   (6ख) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसा कोई व्यक्ति जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1984 के प्रारम्भ के पश्चात नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद (चाहे उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट किसी रीति से या त्यागपत्र द्वारा) छोड़ता है, इस प्रकार छोडने पर-
3. सरकार के अधीन किसी पूर्वतन सेवा की बाबत अपने को संदेय पेंशन का हकदार होगा; और
4. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष की बाबत सात सौ रूपये प्रतिवर्ष की विशेष पेंशन का हकदार होगा।

   (6ग) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी2, कोई व्यक्ति, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियिम, 1987 के प्रारंभ के पश्चात् नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद (चाहे उपधारा (8) में निर्दिष्ट किसी रीति से या त्यागपत्र द्वारा) छोड़ता है, तो इस प्रकार पद छोड़ने पर वह –
5. एक पेंशन जो सर्वोच्च न्याययालय के न्यानयाधीश को देय पेंशन के बराबर होगी:-

1. यदि ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति है तो, समय समय पर यथा संशोधित उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम कहा गया है) की अनुसूची के भाग 3 के प्रावधानों के अनुसार; और
2.) यदि ऐसा व्यक्ति उपधारा (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति है तो, समय समय पर यथा संशोधित, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की अनुसूची के भाग I के प्रावधानों के अनुसार,
6. ऐसी पेंशन (जिसके अंतर्गत पेंशन का सारांशीकरण है), कुटुंब पेंशन और उपदान का, जो समय समय पर यथा संशोधित, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय है, हकदार होगा।

   (6घ) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसने 16 दिसंबर 1987 के पहले किसी समय नियंत्रक-महालेखापरीक्षक पद (चाहे उपधारा (8) में निर्दिष्ट किसी रीति से या त्यागपत्र द्वारा) छोड़ा है, उस तिथि को और उस तिथि से उप धारा 6(ग) में विनिर्दिष्ट पेंशन का हकदार होगा।

7. यदि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद छोड़ने वाला कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी पेंशन का पात्र नहीं है किन्तु उस सेवा को, जिसमें वह नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करने के ठीक पूर्व था, तत्समय लागू नियमों के अधीन पेंशन का पात्र है तो वह, उस धारा में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी पेंशन लेने का पात्र होगा जो उसे उक्त नियमों के अधीन अनुज्ञेय है।
8. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद धारण करने वाले व्यक्ति के बारे में उस दशा के सिवाय जब वह त्याग-पत्र द्वारा अपना पद छोड़ता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, यह तभी समझा जाएगा कि उसने उस रूप में ऐसा पद छोड़ दिया है जब –

1. उसने धारा 4 में विनिर्दिष्ट पदावधि पूरी कर ली है; अथवा
2. उसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है; अथवा
3. चिकित्सक द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाता है कि उसका पद छोड़ना उसकी अस्वस्थता के कारण आवश्यक है।

7. लोप किया गया

साधारण भविष्य निधि में अभिदान करने का अधिकार

8 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) में अभिदान करने का हकदार होगा।

सेवा की अन्य शर्तें

9. इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय4, यात्रा भत्ता, किराया मुक्त मकान की सुविधा और ऐसे किराया मुक्त मकान के मूल्य पर आय कर के संदाय से छूट यातायात सुविधाएँ, सत्कार भत्ता और चिकित्सा सुविधा से संबंधित सेवा की शर्तें तथा सेवा की ऐसी अन्य शर्तें जो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम के अध्याय 4 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को तत्समय लागू हैं जहां तक हो सके, किसी सेवारत या सेवानिवृत्त नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लागू होंगी।

परन्तु इस धारा की किसी बात का ऐसा प्रभाव नहीं होगा जिससे किसी ऐसे व्यक्ति को, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में अपना पद ग्रहण करने की तारीख के ठीक पूर्व सरकार की सेवा में था, पूर्वोक्त विषयों में से किसी की बाबत उनसे कम अनुकूल निबंधन प्राप्त हों, जिनका वह उस सेवा के सदस्य के रूप में हकदार होता जिसमें वह था, और ऐसी दशा में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में उसकी सेवा, इस परन्तुक के प्रयोजन के लिये, उस सेवा में जिसमें वह था चालू रहने वाली सेवा मानी जाएगी।

Go to Top

अध्याय-III नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां

नियत्रंक-महालेखापरीक्षक द्वारा संघ एवं राज्यों के लेखाओं का संकलन करना

10.

1. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक निम्नलिखित के लिये जिम्मेदार होगा, अर्थातः-

1. संघ और हर एक राज्य के लेखाओं का संकलन उन प्रारम्भिक और सहायक लेखाओं से करना जो ऐसे लेखाओं के रखने के लिये जिम्मेदार खजानों, कार्यालयों या विभागों द्वारा उसके नियंत्रण के अधीन लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालयों को दिये जाएं; और
2. खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी के संबंध में ऐसे लेखाओं को रखना जो आवश्यक हों:

   परन्तु राष्ट्रपति, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चा त् आदेश द्वारा, उसे निम्नलिखित का संकलन करने की जिम्मेदारी से अवमुक्त कर सकेगा-

3. संघ के उक्त लेखे (या तो तत्काल या विभिन्न आदेश जारी करके धीरे-धीरे); अथवा
4. संघ की किन्हीं विशिष्ट सेवाओं अथवा विभागों के लेखे:

   परन्तु यह और कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चाित् आदेश द्वारा, उसे निम्नलिखित का संकलन करने की जिम्मेदारी से अवमुक्त कर सकेगा।
5. राज्य के उक्त लेखे (या तो तत्काल या विभिन्न आदेश जारी करके धीरे धीरे); अथवा
6. राज्य की किन्हीं विशिष्ट सेवाओं अथवा विभागों के लेखे:

   परन्तु यह भी कि राष्ट्रपति, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् आदेश द्वारा उसे किसी विशिष्ट वर्ग या प्रकार के लेखाओं को रखने की जिम्मेदारी से अवमुक्त कर सकेगा।

2. जब, किसी व्यवस्था के अधीन, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से भिन्न कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, निम्नलिखित के लिये जिम्मेदार रहा है, अर्थात् –

1. संघ या किसी राज्य की किसी विशिष्ट सेवा या विभाग के लेखाओं का संकलन करना; अथवा
2. किसी विशिष्ट वर्ग या प्रकार के लेखाओं को रखना, तब ऐसी व्यवस्था, उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चाुत् वह खंड (i) में निर्दिष्ट दशा में यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के आदेश द्वारा और खंड (ii) में निर्दिष्ट दशा में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रतिसंहृत नहीं कर दी जाती।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखाओं को तैयार करना और राष्ट्रपति को, राज्यों के राज्यपालों को और जिन संघ राज्यक्षेत्रों में विधान सभाएं है उनके प्रशासकों को भेजना।

11. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने द्वारा या सरकार द्वारा या उस निमित्त जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संकलित किये गये लेखाओं से, हर वर्ष, संबद्ध शीर्षकों के अधीन संघ के प्रत्येक राज्य के और प्रत्येक ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के, जिसमें विधान सभा है, प्रयोजनों के लिए, वार्षिक प्राप्तियां और संवितरण दिखाने वाले लेखे (जिनके अंतर्गत, उसके द्वारा संकलित लेखाओं की दशा में, विनियोग लेखे भी है), तैयार करेगा और उन लेखाओं को यथास्थिति, राष्ट्रपति को या राज्यपाल या जिस संघ राज्यक्षेत्र में विधान सभा है, उसके प्रशासक को ऐसी तारीखों को या उनके पूर्व जो वह संबद्ध सरकार की सहमति से अवधारित करे, भेजेगाः

परन्तु राष्ट्रपति, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् आदेश द्वारा, उसे संघ के अथवा ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के, जिसमें विधान सभा है, प्रयोजन के लिये वार्षिक प्राप्तियों और संवितरणों से संबंधित लेखे तैयार करने और भेजने की जिम्मेदारी से अवमुक्त कर सकेगा।

परन्तु यह और कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चाित् आदेश द्वारा, उसे उस राज्य के प्रयोजन के लिये वार्षिक प्राप्तियों और संवितरणों से संबंधित लेखे तैयार करने और भेजने की जिम्मेदारी से अवमुक्त कर सकेगा।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का संघ और राज्यों को जानकारी देना और उनकी सहायता करना

12. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, जहां तक कि वह उन लेखाओं से जिनके संकलन या रखे जाने के लिये वह जिम्मेदार है समर्थ हो, यथास्थिति, संघ सरकार को, राज्य सरकारों को और उन संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों को जिनमें विधान सभाएं है ऐसी जानकारी देगा जिसकी वे समय-समय पर अपेक्षा करें और उनके वार्षिक वित्तीय विवरणों की तैयारी में ऐसी सहायता करेगा जिसकी वे उचित रूप से मांग करे।

लेखापरीक्षा के संबंध में साधारण प्रावधान

13.नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

1. भारत की और प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की जिसमें विधान सभा है, संचित निधि में से किये गये व्यय की लेखापरीक्षा करे और यह अभिनिश्चि,त करे कि क्या वे धनराशियां जो लेखाओं में संवितरित की गई दिखाई गई है, उस सेवा या प्रयोजन के लिये जिसके लिये वे लागू की गई या प्रभावित की गई है वैध रूप से उपलब्ध या लागू थीं और क्या वह व्यय उसे शासित करने वाले प्राधिकार के अनुरूप है;

2. आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं के संबंध में संघ और राज्यों के सभी संव्यवहारों की लेखापरीक्षा करे;
3. संघ के या किसी राज्य के किसी विभाग में रखे गये सभी व्यवसाय, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं तथा तुलनपत्रों और अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा करे/और हर एक दशा में अपने द्वारा इस प्रकार लेखापरीक्षित व्यय, संव्यवहारों या लेखाओं की बाबत रिपोर्ट दे।

   संघ या राज्य के राजस्वों से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों या प्राधिकरणों की प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा

   14.

1. जहां किसी निकाय या प्राधिकरण का पर्याप्त वित्तपोषण भारत की या किसी राज्य की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की जिसमें विधान सभा है, संचित निधि में से अनुदानों या उधारों से किया जाता है, वहां नियंत्रक-महालेखपरीक्षक, यथास्थिति, उस निकाय या प्राधिकरण को लागू तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उस निकाय या प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा करेगा और इस प्रकार अपने द्वारा लेखापरीक्षित प्राप्तियों और व्यय की बाबत रिपोर्ट देगा।

   स्पष्टीकरण: - जहां भारत की या किसी राज्य की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की जिसमें विधान सभा है, संचित निधि में से किसी निकाय या प्राधिकरण को दिया गया अनुदान या उधार किसी वित्तीय वर्ष में पचीस लाख5 रूपये से कम नहीं है और ऐसे अनुदान या उधार की रकम उस निकाय या प्राधिकरण के कुल व्यय के पचहत्तर प्रतिशत से कम नहीं है, वहां इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये यह समझा जाएगा कि उस निकाय या प्राधिकरण का पर्याप्त वित्तपोषण, यथास्थिति, ऐसे अनुदानों या उधारों से किया जाता है।

2. उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, यथास्थिति, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के, जिसमें विधान सभा है, प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से किसी निकाय या प्राधिकरण को, जहां ऐसे निकाय या प्राधिकरण को, यथास्थिति भारत की या किसी राज्य की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की, जिसमें विधान सभा है, संचित निधि में से किसी वित्तीय वर्ष में दिए गए अनुदान या उधार एक करोड़ रूपये से कम नहीं है, वहां सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा कर सकेगा।
3. जहां किसी निकाय या प्राधिकरण की प्राप्तियों और व्यय, की उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट बातों की पूर्ति के फलस्वरूप, किसी वित्तीय वर्ष में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है वहां वह उस निकाय या प्राधिकरण की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा इस बात के होते हुए भी दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि तक करता रहेगा कि उपधारा

(1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्तें उन दो बाद के वर्षों में से किसी के दौरान पूरी नहीं की जाती है।

अन्य प्राधिकरणों या निकायों को दिये गए अनुदानों या उधारों की दशा में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्य

15

1. जहां भारत की या किसी राज्य की या किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की जिसमें विधान सभा है, संचित निधि में से कोई अनुदान या उधार किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये किसी ऐसे प्राधिकरण या निकाय को दिया जाता है जो विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है वहां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उन प्रक्रियाओं की संवीक्षा करेगा जिनसे मंजूरी देने वाला प्राधिकारी उन शर्तों की पूर्ति के बारे में अपना समाधान करता है जिनके अधीन ऐसे अनुदान या उधार दिये गए और इस प्रयोजन के लिये उसे, उस प्राधिकरण या निकाय की बहियों और लेखाओं तक, उचित पूर्व सूचना देने के पश्चारत् पहुंच का अधिकार होगाः

   परन्तु यदि, यथास्थिति, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा है, प्रशासक की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चातत् आदेश द्वारा उसे ऐसे अनुदान या उधार प्राप्त करने वाले किसी निकाय या प्राधिकरण की बाबत कोई ऐसी संवीक्षा करने से अवमुक्त कर सकेगा।.
2. (2) उस दशा के सिवाय जबकि वह, यथास्थिति, राष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के, जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक द्वारा ऐसा करने के लिये प्राधिकृत है, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को, उस समय जबकि वह उपधारा (1) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, किसी ऐसे निगम की, जिसे कोई ऐसा अनुदान या उधार दिया जाता है जैसा उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, बहियों और लेखाओं तक पहुंच का अधिकार नहीं होगा यदि वह विधि, जिसके द्वारा या जिसके अधीन ऐसा निगम स्थापित किया गया है ऐसे निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से भिन्न किसी अभिकरण द्वारा किये जाने का उपबन्ध करती है।
3. परन्तु ऐसा कोई प्राधिकार तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श नहीं कर लिया जाता और जब तक संबद्ध निगम को उसकी बहियों और लेखाओं तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को पहुंच का अधिकार देने की प्रस्थापना की बाबत अभ्यावेदन करने का समुचित अवसर नहीं दे दिया जाता।

संघ की या राज्यों की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

16.नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कर्त्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करे जो भारत की और प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की जिसमें विधान सभा है, संचित निधि में संदेय है, और अपना समाधान कर ले कि उस बारे में सभी नियम और प्रकियाएं राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आंबटन की प्रभावपूर्ण जांच पड़ताल सुनिश्चित करने के लिये परिकल्पित है और उसका सम्यक रूप से अनुपालन किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिये लेखाओं की ऐसे परीक्षा करें जो वह ठीक समझे और उनकी बाबत रिपोर्ट दे।

भण्डारों और स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा

17.नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भण्डारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने और उनकी बाबत रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा।

लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की शक्तियां

18.

1. इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्राधिकार होगा कि वह-

1. संघ के या किसी राज्य के नियंत्रण के अधीन किसी लेखा कार्यालय का निरीक्षण करे जिसके अंतर्गत खजाने और प्रारम्भिक या सहायक लेखाओं को रखने के लिये जिम्मेदार ऐसे कार्यालय भी है, जो उसे लेखे भेजते है;
2. यह अपेक्षा करे कि कोई लेखे, बहियां, कागजपत्र या अन्य दस्तावेज, जो ऐसे संव्यवहारों के बारे में हों या उनका आधार हो या उनसे अन्यथा सुसंगत हों जिन तक लेखापरीक्षा से संबंधित उसके कर्तव्यों का विस्तार है, ऐसे स्थान पर भेज दिये जाऐ जिसे वह अपने निरीक्षण के लिये नियत करे;
3. कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति ऐसे प्रश्नि पूछे या ऐसी टीका-टिप्पणी करे जो वह ठीक समझे और ऐसी जानकारी मांगे जिसकी उसे किसी ऐसे लेखे या रिपोर्ट की तैयारी के लिए अपेक्षा हो, जिसे तैयार करना उसका कर्तव्य है।

2. किसी ऐसे कार्यालय या विभाग का प्रभारी व्यक्ति, जिसके लेखाओं का निरीक्षण या लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी है, ऐसे निरीक्षण के लिये सभी सुविधाएं देगा और जानकारी के लिये किए गए अनुरोधों की यथासम्भव पूरे तौर पर समुचित शीघ्रता से पूर्ति करेगा।

सरकारी कम्पनियों और निगमों की लेखापरीक्षा

19.

1. सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का पालन और प्रयोग उसके द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
2. संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों के (जो कंपनियां न हों) लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का पालन और प्रयोग उसके द्वारा संबंधित विधानों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
3. किसी राज्य का राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र, जिसमें विधान सभा है, का प्रशासक, जब उसकी यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तब नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से अनुरोध कर सकेगा कि वह यथास्थिति, राज्य के या संघ राज्यक्षेत्र के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन स्थापित किसी निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करे और जब ऐसा अनुरोध किया गया है तब, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ऐसे निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करेगा और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये उसे निगम के लेखाओं और बहियों तक पहुंच का अधिकार होगाः

   परंतु ऐसा कोई अनुरोध तब तक नहीं किया जाएगा जब तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श नहीं कर लिया जाता और जब तक निगम को ऐसी लेखापरीक्षा की प्रस्थापना की बाबत अभ्यावेदन करने का समुचित अवसर नहीं दे दिया जाता।

   सरकारी कंपनियों और निगमों के लेखाओं के संबंध में रिपोर्टों का रखा जाना

   19 क

1. धारा 19 में निर्दिष्ट किसी सरकारी कंपनी या किसी निगम के लेखाओं के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्टें सरकार को या संबंधित सरकारों को प्रस्तुत की जाएंगी।
2. केंद्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट को, उसके प्राप्त होने के पश्चारत् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।
3. राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट को उसके प्राप्त होने के पश्चापत् यथाशीघ्र राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवायेगी।

   स्पष्टीकरण: - इस धारा के प्रयोजन के लिये ऐसे किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, जिसमें विधान सभा है "सरकार " या "राज्य सरकार " से उस संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है।

   कतिपय प्राधिकरणों या निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

   20.

1. धारा 19 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, जहां किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नहीं सौंपी गई है, वहां यदि, उससे, यथास्थिति राष्ट्रपति या किसी राज्य के

राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के, जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया गया तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर करेगा जो उसके और संबद्ध सरकार के बीच अनुबंधित पाए जाएं, और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये उस निकाय या प्राधिकरण की बहियों और लेखाओं तक पहुंच का अधिकार होगाः

परन्तु ऐसा कोई अनुरोध तब तक नहीं किया जाएगा जब तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श नहीं कर लिया जाता।

2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, यथास्थिति राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक से किसी ऐसे निकाय या प्राधिकरण के, जिसके लेखाओं की लेखापरीक्षा उसे विधि द्वारा नहीं सौंपी गई है, लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिये प्राधिकृत करने की प्रस्थापना उस दशा में कर सकेगा जब उसकी यह राय हो कि ऐसी लेखापरीक्षा इस कारण आवश्यक है कि केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की, जिसमें विधान सभा है, सरकार द्वारा, ऐसे निकाय या प्राधिकरण में पर्याप्त रकम विनिहित की गई है या उसे उधार दी गई है, और, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल या प्रशासक ऐसा अनुरोध किये जाने पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा।
3. उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को तब तक नहीं सौंपी जाएगी जब तक, यथास्थिति, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक का समाधान नहीं हो जाता कि ऐसा करना लोकहित में समीचीन है और जब तक संबद्ध निकाय या प्राधिकरण को ऐसी लेखापरीक्षा की प्रस्थापना के बारे में अभ्यावेदन करने का समुचित अवसर नहीं दे दिया जाता।

Go to Top

अध्याय-IV विविध

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की शक्ति का प्रत्यायोजन

21. इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली कोई भी शक्ति उसके विभाग के ऐसे अधिकारी द्वारा प्रयुक्त की जा सकेगी जिसे वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे:

परंतु उस दशा के सिवाय जब नियंत्रक-महालेखापरीक्षक छुट्टी पर हो, या अन्यथा अनुपस्थित हो, कोई भी अधिकारी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से किसी ऐसी रिपोर्ट को भेजने के लिये प्राधिकृत नहीं होगा जिसे, यथा स्थिति राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या ऐसे संघ

राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक को भेजने के लिये नियंत्रक-महालेखपरीक्षक संविधान द्वारा या संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम (1963 का 20) द्वारा अपेक्षित है।

नियम बनाने की शक्ति

22.

1. केन्द्र सरकार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् इस अधिनियम के उपबंधों को, जहां तक वे लेखाओं के रखे जाने से संबंधित हैं, कार्यान्वित करने के लिये राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।
2. विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों के लिये या उनमें से किसी के लिये उपबंध कर सकेंगे, अर्थातः-

1. वह रीति जिसमें लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालयों को लेखे देने वाले खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रारम्भिक और सहायक लेखे रखे जाएंगे;
2. वह रीति जिसमें संघ के या किसी राज्य के या ऐसी किसी विशिष्ट सेवा या विभाग के या किसी विशिष्ट वर्ग या प्रकार के लेखे, जिनकी बाबत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक लेखे संकलित करने या रखने की जिम्मेदारी से अवमुक्त कर दिया गया है, संकलित किये जाएंगे या रखे जाएंगे;
3. वह रीति जिसमें, यथास्थिति, संघ के या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग के भंडारों या स्टॉक के लेखे रखे जाएंगे;
4. कोई अन्य विषय जो नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

3. इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चातत् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिये रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिये सहमत हो जाएं तो तत्पश्चादत् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्तर अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिये तो, तत्पश्चात् वह निष्प्रोभावी हो जाएगा किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्राभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विनियम बनाने की शक्ति

23. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को इस अधिनियम के उपबंधों को, जहां तक वे लेखापरीक्षा की परिधि और विस्तार के संबंध में है, जिनके अंतर्गत सरकारी विभागों के मार्गदर्शन के लिये सरकारी लेखे रखने के साधारण सिद्धांत और प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा के बारे में

सामान्य सिद्धांत भी है, कार्यान्वित करने के लिये विनियम बनाने के लिये इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

ब्यौरेवार लेखापरीक्षा से अभिमुक्त करने की शक्ति

24. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि जब भी परिस्थितियों से ऐसा युक्तिसंगत हो, वह किन्हीं लेखाओं या किन्हीं वर्गो के संव्यवहारों की ब्यौरेवार लेखापरीक्षा के किसी भाग से अभिमुक्ति प्रदान कर दे और ऐसे लेखाओं या संव्यवहारों के सम्बन्ध में ऐसी सीमित जांच पड़ताल लागू करे जो वह अवधारित करे।

निरसन

25. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अधिनियम, 1953 (1953 की सेवा-शर्ते 21) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

शंकाओं का निराकरण

26. शंकाओं के निराकरण के लिये घोषित किया जाता है कि इस अधिनियिम के प्रारंभ होने पर भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथानुकूलित भारत सरकार (लेखापरीक्षा और लेखे) आदेश, 1936, किसी ऐसी बात या कार्रवाई के सिवाय, जो उसके अधीन की जा चुकी है, प्रवृत्त नहीं रहेगा।